

क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच (15).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (15) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में; मद (xii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (xi)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में; मद (i) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "स्कूल, कालेज" को विलोपित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (क) कॉलम (3) में मद (iv) के पश्चात और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(ivक) हवाई यात्रा से, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या चार्टर आपरेशन, जो कि किसी विशेष संगठन के द्वारा द्विपक्षीय करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सुविधा के संबंध में लगाए गए हों, के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे यात्रियों के पास सामान हो या नहीं।	2.5	बशर्त सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 के उपवाक्य (iv) को देखें]

- (ख) कॉलम (3) में, मद (vii) में कोष्ठक और अंक "(iv)", के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivक)," को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष कॉलम (3) के मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) गुड्स कैरिज के तीसरे पक्ष का बीमा संबंधी सेवा ।	6	-
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), और (vi) से भिन्न वित्तीय और अन्य संबंधित सेवाएं ।	9	-";

(ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम (3) के मद (viii) और कॉलम (3), (4) और (5), में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(viiक) वस्तुओं को पट्टे पर या किराए पर देना	राज्य कर की दर वही होगी जो कि इसी तरह की वस्तुओं जिसमें माल के हक का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लगता हो ।	-
(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viiक) से भिन्न पट्टे पर और पट्टे पर दी जाने वाली सेवाएं जहाँ आपरेटर साथ में हो या नहीं ।	9	-";

(च) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में कोष्ठक, अंक और शब्द "उपर्युक्त (i)" के पश्चात शब्द और संख्या "और क्रम संख्या 38, नीचे" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 34 के समक्ष, -

(क) कॉलम (3) में मद (ii) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iiक) किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शन में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा, जिसमें प्रवेश टिकट का मूल्य एक सौ रुपए से अधिक हो	9	-";

(ग) मद (iiiक), में "सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन" शब्दों को विलीपित कर दिया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में, मद (vi) में कोष्ठक और अंक "(ii)" के पश्चात कोष्ठक और अंक "(iiक)" को अंतःस्थापित किया जाएगा

(झ) कॉलम (1) की क्रम संख्या 37 और कॉलम (2), (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"38.	9954 या 9983 या 9987	किसी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग या संस्थापना या अन्य तकनीकी सेवाओं के रूप में दी गई सेवा, जो कि निम्नलिखित की संस्थापना के बारे में दी गई हो - (क) बायो गैस प्लांट (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपक्रम (ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली (घ) विंड मिल्स, विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रीसिटी जनरेटर (डब्ल्यूओ ईजी) (ङ) ऊर्जा संयंत्रों/उपक्रमों को कचरे (च) समुंद्री तरंगें, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपक्रम/संयंत्र स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना क्रमांक -3-33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 की अनुसूची I, क्र. सं. 234 के साथ पढ़ा जाएगा।	9	-";

(ii) पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (x) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(xi) "विशेष संगठन" से अभिप्राय , -

(i) कुमायूं मंडल विकास निगम लि., उत्तराखंड सरकार का प्रतिष्ठान; या

(ii) 'समिति' या 'राज्य समिति', हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित, से है।

(xii) "गुड्स कैरिज" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के उप वाक्य (14) में दिया गया हो।"

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-32-2017-1-पांच (15), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-32-2017-1-V(15)

Bhopal, the 8th February 2019

No. FA3-32-2017-1-V(15) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in this department notification No. FA3-32-2017-1-V(41) dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), in item (xii), after the brackets, figures and word “(xi) above”, the word and number “and serial number 38 below” shall be inserted;

(b) against serial number 7, in column (3), in item (i), in Explanation 1, the words “school, college.” shall be omitted;

(c) against serial number 8, -

(A) after item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iva) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, by non-scheduled air transport service or charter operations, engaged by specified organisations in respect of religious pilgrimage facilitated by the Government of India, under bilateral arrangement.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation]”;

(B) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iv),”, the brackets and figures “(iva),” shall be inserted;

- (d) against serial number 15, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Service of third-party insurance of "goods carriage"	6	-
(vii) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), and (vi) above.	9	-";

- (e) against serial number 17, for item (viii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(viii) Leasing or renting of goods	Same rate of state tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above	9	-";

- (f) against serial number 21, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word "(i) above", the words and number "and serial number 38 below" shall be inserted;

- (g) against serial number 25, in column (3), in item (ii), after the brackets, figures and word "(i) above", the words and number "and serial number 38 below" shall be inserted;

- (h) against serial number 34; -

(A) against item (ii) in column (3), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;

(B) after item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iia) Services by way of admission to exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is above one hundred rupees.	9	-";

(C) in item (iia), the words "exhibition of cinematograph films," shall be omitted;

(D) in column (3), in item (vi), after the brackets and figures "(ii)", the brackets and figures "(iia)," shall be inserted;

- (i) after serial number 37 in column (1) and the entries relating thereto in column (2), (3), (4) and (5) the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"38.	9954 or 9983 or 9987	Service by way of construction or engineering or installation or other technical services, provided in relation of setting up of following, - (a) Bio-gas plant (b) Solar power based devices (c) Solar power generating system (d) Wind mills, Wind Operated Electricity Generator (WOEG) (e) Waste to energy plants / devices (f) Ocean waves/tidal waves energy devices/plants <i>Explanation:</i> - This entry shall be read in conjunction with serial number 234 of Schedule I of the notification No. F A-3-33/2017/1/V(42)- 2017 dated 29 th June, 2017.	9	”;

- (ii) in paragraph 4 relating to Explanation, after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xi) “specified organisation” shall mean, -

(a) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or

(b) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002).

(xii) “goods carriage” has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).”

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.